



क्रमांक : एफ 14(1)(80)/निमअ/सामू.वि./2021-22 | 31717-749
उप/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
समस्त

जयपुर दिनांक 12-10-2021

विषय: सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गृह(ग्रुप-7) विभाग के त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश बाबत।

प्रसंग: गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश क्रमांक प7(1) गृह -7/2021 दिनांक 17.09 2021 एवं पूर्व विभागीय आदेश क्रमांक 7260-92 दिनांक 20.03.2020 एवं पत्रांक 8142-74 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप 7) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)गृह 7/2021 दिनांक 17.09.2021 के त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के परिपेक्ष्य में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक शादी- समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है तथा विवाह आयोजन संबंधी शेष दिशा निर्देश विभागीय समसंख्यक आदेश प7(1) गृह -7/2021 दिनांक 10.07.2021 के अनुसार रहेंगे।

अतः राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए तदनुसार होने वाले सामूहिक विवाहों आयोजनों पर कार्यवाही करे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(रश्मि मुप्ता)

आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक : एफ 14(1)(80)/निमअ/सामू.वि./2021-22 | 31750-55
प्रतिलिपि:

जयपुर दिनांक 12-10-2021

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोया, म.बा.वि. राजस्थान।
- 2.निजी सचिव, शासन सचिव, म.बा.वि.
- 3.निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं।
- 4.निजी सहायक जिला कलक्टर, समस्त को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 5.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला समस्त को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 6.प्रोग्रामर महिला अधिकारिता को भेजकर लेख है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 को लाईव करवाते हुए उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 7.गार्ड फाईल।

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता